

Original Article

समस्तीपुर जिला में भूमि उपयोग के बदलते प्रारूप का कृषि पर प्रभाव

डॉ. शीला कुमारी

वरीय सहायक प्राध्यापक, राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

Email: shillasudhir@gmail.com

Manuscript ID:

JRD -2025-171226

ISSN: 2230-9578

Volume 17

Issue 12(A)

Pp. 121-124

December 2025

Submitted: 18 Nov. 2025

Revised: 28 Nov. 2025

Accepted: 13 Dec. 2025

Published: 31 Dec. 2025

सार-संक्षेप

किसी भी मानव समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रतिबिम्ब वहाँ के भूमि उपयोग प्रतिरूप से होता है। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि अति महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक संसाधन है। मानव की प्रत्येक क्रिया कलाप एवं उसकी मूलभूत और प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी संसाधन से होती है। भूमि उपयोग का स्वरूप मानव संसाधन के विकास और आवश्यकत के अनुसार परिवर्तित एवं परिमार्जित होता रहा है और यह हमारे पर्यावरण और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन शहरीकरण, कृषि विस्तार एवं औद्योगीकरण के फलस्वरूप हुआ है। इस परिवर्तन से वहाँ के कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि किसी भी मानवीय क्रिया की आधारशिला होती है। समय के साथ जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के कारण भूमि उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। शोध जिला समस्तीपुर एक प्रमुख कृषि क्षेत्र वाला जिला है जहाँ पर भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तन सीधे कृषि पर प्रभाव डाल रहे हैं। प्रस्तुत शोध इन्हीं परिवर्तनों के भौगोलिक विश्लेषण पर आधारित है।

शब्द कुंजी : भूमि उपयोग, शहरीकरण, परिवर्तन आदि।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय

समस्तीपुर जिला बिहार राज्य के मध्य भाग में स्थित है। यह जिला अपनी समृद्ध भौगोलिक विविधता एवं ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह जिला 25°30' और 26°15' उत्तर अक्षांश तथा 85°30' और 86°30' पूर्वी देशान्तरों के बीच स्थित है। इस जिला की सीमाएं अन्य जिलों से लगती है। यह जिला बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में एक है इसके उत्तर में दरभंगा जिला दक्षिण में गंगा नदी एवं पटना जिला स्थित है जबकि पूर्व में बेगूसराय एवं खगड़िया जिला तथा पश्चिम में मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिला है। इस जिला का क्षेत्रफल 2904 वर्गकिलोमीटर है तथा जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 4261566 है। साक्षरता 63.81 प्रतिशत है तथा लिंगानुपात 909 व्यक्ति प्रति हजार पुरुषों पर है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। यहाँ की प्रमुख नदियों में गंगा, बागमती, बुढी गंडक है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह जिला उप-उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश में स्थित है जहाँ मध्यम वर्षा और गर्मी रहती है।

अध्ययन का उद्देश्य

समस्तीपुर जिला में भूमि उपयोग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना शोध का उद्देश्य है। यह सर्वविदित है कि कृषि भूमि उपयोग का वितरण एवं परिवर्तनशील प्रतिरूप अध्ययन कृषि विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी क्षेत्र के भूत एवं वर्तमान के आधार पर भावी भूमि उपयोग की लाभकारी योजना का निर्माण किया जा सकता है। जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि पर अत्यधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन कृषि जोत के आकार में परिवर्तन हो रहा है।



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdrvb.org/>

DOI:

10.5281/zenodo.18184893



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

डॉ. शीला कुमारी, वरीय सहायक प्राध्यापक, राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

How to cite this article:

कुमारी, . शीला. (2025). समस्तीपुर जिला में भूमि उपयोग के बदलते प्रारूप का कृषि पर प्रभाव. *Journal of Research and Development*, 17(12(A)), 121–124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18184893>

जिसका प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, संयुक्त परिवार प्रणाली का पतन, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण का विकास है। इन परिवर्तनों के कारण कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना एवं समाधान प्रस्तुत करना भी शोध का उद्देश्य है।

शोध की विधि

प्रस्तुत शोध आलेख में उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार भूमि उपयोग (रिकार्ड) विभाग, कृषि विभाग समस्तीपुर आदि आंकड़ा संग्रह की जाएगी तथा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर शोध हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा।

भूमि उपयोग

समस्तीपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के भूमि उपयोगों में काफी भिन्नता मिलती है। यहाँ के भूमि उपयोग नियोजित ढंग से नहीं किया गया जिसका कारण क्षेत्रीय विषमताएं देखने को मिलती हैं फिर भी शोध जिला की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। यहाँ कृषि के लिए सारी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं। मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि उपयोग होता आया है। भूमि उपयोग आँकड़ों के द्वारा शोध जिला में भूमि उपयोग परिवर्तन को समझ सकते हैं।

समस्तीपुर जिला में भूमि उपयोग में बदलाव

भूमि उपयोग श्रेणी	2001 (प्रतिशत)	2023 (प्रतिशत)
कृषि भूमि	72	64
बागवानी	3	6
आवासीय भूमि	10	18
बंजर भूमि	5	4

श्रोत : (कृषि विभाग, बिहार सरकार पटना)

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि शोध जिला में कृषि भूमि उपयोग घट रहा है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1749.24 वर्ग किलोमीटर है तथा 2859.35 वर्ग किलोमीटर खेती योग्य क्षेत्र है। बागवानी का प्रतिशत 3 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है। आवासीय भूमि 10 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत तक हो गया है। बंजर भूमि का प्रतिशत घट रहा है। एक अन्य शोध पत्र प्रकाशित आंकड़ा निम्नलिखित है।

कृषि भूमि उपयोग (2000-2020)

कृषि भूमि	-	32 प्रतिशत की वृद्धि
बस्ती क्षेत्र	-	59.91 प्रतिशत की वृद्धि
प्राकृतिक वनस्पति	-	84.98 प्रतिशत की वृद्धि
रेत बंजर भूमि	-	43.98 प्रतिशत की वृद्धि
जलाशय	-	32.68 प्रतिशत की वृद्धि

श्रोत : राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा प्रकाशित शोध पत्र

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि समस्तीपुर जिला में भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों में कृषि उत्पादन, पैदावार किसान की आय तथा पारंपरिक कृषि प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला है।

कृषि पर प्रभाव

शोध जिला समस्तीपुर में भूमि उपयोगों में परिवर्तन के कारण कृषि योग्य भूमि की कमी हुई है जैसा कि उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि भूमि जो 2001 में 72 प्रतिशत थी वह 2023 में 64 प्रतिशत हो गयी है। कृषि योग्य भूमि में कमी के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास, दुकान, कारखाना आदि के कारण कृषि भूमि का प्रतिशत घट रहा है। दूसरी ओर पारम्परिक फसलों में गिरावट आयी है। पारम्परिक फसल के जगह कृषक आधुनिक कृषि करना चाहते हैं, जिसमें ज्यादा आमदनी हो जिससे फसल विविधता में कमी आई है लेकिन सब्जी उत्पादन में वृद्धि हुई है। सरकारी कृषि एवं शिक्षित कृषक के कृषि क्षेत्र में आने से सब्जी उत्पादन में वृद्धि हुई है कोल्ड स्टोर की संख्या बढ़ी है। समस्तीपुर की सब्जी आस-पास के जिलों में भेजी जाती है तथा स्थानीय बाजार उपलब्ध होने के कारण सब्जी आसानी से बाजार तक पहुँच जाती है। वहाँ से क्रेता अन्य शहरों की ओर ले जाते हैं। इस दिशा में वहाँ की परिवहन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यातायात के साधन विकास होने के कारण सब्जी उत्पादकों से उत्पाद का सही दाम मिल जाता है। दूसरी ओर पूसा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय से समय-समय पर उन्नत विज्ञ एवं कृषि तकनीक का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता है जिससे सब्जी उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

हरित क्रांति पश्चात् देखा गया है कि समस्तीपुर ही नहीं सम्पूर्ण भारत में भूमि की उर्वरता में गिरावट आयी है जिस प्रकार से खेतों में रासायनिक खाद, उर्वरक, कृषि कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है उससे धीरे-धीरे भूमि की उर्वरता में कमी आयी है। क्योंकि किसान कम खेतों में कम समय में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करना चाहते हैं जिसके कारण नई-नई प्रजातियाँ एवं रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरता में गिरावट आ रही है। भूमि बंजर हो रही है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण

सर्वप्रथम कारण शोध क्षेत्र में सुरसा की तरह बढ़ती हुई जनसंख्या है। 2011 में समस्तीपुर की जनसंख्या 4261566 थी जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 5490000 हो गयी हैं। यह सर्वविदित है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मौलिक आवश्यकताएं हैं जो कहीं न कहीं भूमि से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए जनसंख्या विस्फोट के कारण भूमि उपयोगों में परिवर्तन हुआ है।

अनियोजित शहरीकरण के कारण भी भूमि उपयोगों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरों का विस्तार तेज़ी से होता है जिससे कृषि भूमि और वनस्पति क्षेत्रों पर दबाव पड़ता है इससे भूमि उपयोगों में परिवर्तन होता है और कृषि भूमि को शहरी उपयोगों के लिए परिवर्तन किया जाता है। अनियोजित शहरीकरण के कारण भूमि की मांग में वृद्धि होती है जिससे भूमि के मूल्य में वृद्धि होती है इससे भूमि उपयोगों में परिवर्तन होता है और भूमि उपयोग अधिक से अधिक लाभदायक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अनियोजित शहरीकरण के कारण अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होती है जिससे भूमि उपयोगों में परिवर्तन होता है। अनाधिकृत निर्माण से शहरी क्षेत्रों में अवैध बस्तियों और झुग्गियों का निर्माण होता है। जहाँ बुनियादी ढांचों में कमी होती है जैसे सड़के, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं आदि।

अनियोजित शहरीकरण के कारण शोध क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है। जैसे वायु-प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इससे भूमि उपयोगों में परिवर्तन होता है और भूमि का उपयोग पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता है।

भूमि उपयोग परिवर्तन का एक कारण भूमि का व्यावसायिक दोहन भी है। भूमि का व्यावसायिक दोहन करने से व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार होता है। जैसे कि उद्योग, वाणिज्य और सेवाएं आदि। इससे भूमि उपयोगों में परिवर्तन होता है। भूमि का व्यावसायिक दोहन से भूमि की मांग में वृद्धि होती है। इससे भूमि उपयोगों में परिवर्तन होता है और भूमि का उपयोग अधिक लाभदायक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा कृषि भूमि का नुकसान होता है। भूमि का व्यावसायिक दोहन से कृषि भूमि का नुकसान होता है जिससे खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इससे भूमि उपयोगों में परिवर्तन होता है।

आधुनिक तकनीकी के कारण भूमि उपयोगों में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों में जी.आई.एस. और रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से भूमि उपयोगों की निगरानी और प्रबंधन किया जा सकता है। सटीक कृषि तकनीक के माध्यम से किसानों को अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलती है। इसके अलावा भूमि सर्वेक्षण और मानचित्रण, भूमि प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ड्रोन और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से प्रबंधन किया जा सकता है। इस प्रकार आधुनिक तकनीकी के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन देखने को मिलता है नीतिगत असंतुलन से भूमि उपयोग में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अनुचित नीतियां, नितियों का अभाव, विरोधिभासी नीतियाँ तथा हितों के टकराव के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन देखने को मिलता है।

इसके अलावा सड़क, रेलवे, नाहर जैसे बुनियादी ढांचों का विकास, निजी संस्थान एवं बाजारों में वृद्धि, भूमि की खपत में बदलाव जैसे घर, दुकानों एवं गोदामों के लिए आदि कारणों के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन देखने को मिलता है।

समाधान एवं सुझाव

1. भूमि उपयोग नियोजन – यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें भूमि उपयोग को योजनाबद्ध और नियंत्रित किया जाता है ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए निम्न बिंदु विचारणीय हैं –

- भूमि उपयोग की योजना बनाना
- भूमि संसाधनों का संरक्षण
- पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी
- नीतियों एवं नियमों का क्रियान्वयन

हालाँकि भूमि उपयोग नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई हितधारक की भागीदारी और समन्वय की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य भूमि संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना और पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को कम करना है।

जैविक एवं सतत कृषि को बढ़ावा –

जिला में जैविक एवं सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है कृषि विज्ञान केन्द्र विरौली ने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया है। जिसमें किसानों को नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और टिकाऊ खेती के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान में जिला के 90 पंचायत को शामिल किया गया है और 11830 से अधिक किसानों ने भाग लिया है।

भूमि सुधार कार्यक्रम –

शोध जिला में यदि भूमि सुधार कार्यक्रम सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाए तो इससे भूमि से संबंधित समस्याओं का अंत हो सकता है। इसके लिए सरकार की तरफ से डिजिटल हस्ताक्षरित, भू-अभिलेख, ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू-लगान भुगतान

के व्यवस्था ऑनलाइन राजस्व न्यायालय आदि की व्यवस्था की गई है इतना नहीं राजस्व मानचित्रों को दरवाजों तक वितरण की व्यवस्था दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य –

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है यदि ग्रामीण क्षेत्रों विकास की धारा बढ़ाई जा सके तो शोध जिला की तस्वीर से बिहार में भिन्न होगी। ग्रामीण क्षेत्र सरकार की विकास योजनाओं से अनजान रहते हैं उन्हें जागरूक कर प्रशिक्षण प्राप्त कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की विकास कराया जा सकता है।

GIS आधारित निगरानी प्रणाली –

शोध जिला में GIS आधारित निगरानी प्रणाली का विकास होना चाहिए। विकास कार्य होते हैं लेकिन उसका निगरानी एवं मूल्यांकन नहीं हो पाता है इसलिए GIS आधारित निगरानी प्रणाली का विकास होना चाहिए।

निष्कर्ष

भूमि उपयोग में आ रहे परिवर्तन समस्तीपुर की कृषि अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। कृषि योग्य भूमि का लगातार घटते जाना चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक तरीकों से भूमि उपयोग नियोजन, नीतिगत हस्तक्षेप और किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। ताकि भूमि उपयोगों में हो रहे परिवर्तनों को कृषि के अनुकूल रूप दिया जा सके।

सन्दर्भ सूची

1. तिवारी, आर.सी.एवं सिंह बी.एस. (1994), कृषि भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. शर्मा, वी.एल. (1988), कृषि भूगोल साहित्य भवन, आगरा।
3. बिहार कृषि विभाग (2022-23 रिपोर्ट)
4. भारत सरकार, भूमि संसाधन मंत्रालय।
5. सेन्सस डेटा (2011)
6. कुमार जितेन्द्र, राम कुमार साहू, और सुदर्शन प्रसाद (2023) भू सूचना विज्ञान का उपयोग समस्तीपुर जिला के सन्दर्भ में शोध ग्रंथ।